RESEARCH EXPRESSION ISSN 2456-3455 Vol. II, Issue 2 and 3, March and September 2017

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 में सूचना प्रदाय करने से छूट पर संक्षिप्त समीक्षात्मक अध्ययन

हरजीत सिंह चांवला*
विधि विभाग, सेठ रतन चन्द सुराना विधि महाविद्यालय, दुर्ग (छग).

प्रस्तावना

सूचना के अधिकार को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के द्वारा मान्यता मिली, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है एवं प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार की सूचना लेना, प्राप्त करना और देने की स्वतंत्रता का अधिकार है। 'द इन्टरनेशनल कॉवनेंट ऑन सिविल एण्ड पालिटिकल राइट्स, 1966' में भी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यूरोपियन कॉवनेंट ह्यूमन राइट्स, 1996 की धारा 10 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, एवं इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप के सूचना प्राप्त करने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। स्कैडिनेवियाई देशों में स्वीडन ऐसा पहला देश है जिसने लगभग 240 वर्षों पहले अपने नागरिकों को यह मूल अधिकार प्रदान किया। सूचना का अधिकार लागू करने वाला भारत 55वाँ देश है। आज इस अधिकार को एक मौलिक मानवीय अधिकार की मान्यता दी जा चुकी है। भारत में इस अधिकार के लिए सर्वप्रथम राजस्थान राज्य के ग्रामीणों ने लड़ाई लड़ी।

'एस.पी. गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया'[1] के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा "अगर एक समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरे शिद्दत के साथ स्वीकार करता है, तो वहाँ के नागरिकों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनकी सरकार क्या कर रही है"। 1989 के दौर में प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन के लिए सूचना का अधिकार कानून को लागू करने की बात कही। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ जिसमें कुल 31 धारायें, 6 अध्याय एवं 2 अनुसूची हैं।

उद्देश्य

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005[2] के अनुसार, "प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिये, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम" है, परन्तु इसका वर्तमान समय में अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप पूर्णतः प्रभाव दिखलाई नहीं पड़ता है। यह भी सत्य है कि आर.टी.आई. ने कई मुद्दों पर जानकारी उजागर करने में सफलता भी प्राप्त की है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 में सूचना के प्रकट किये जाने से छूट संबंधी प्रावधान दिये गये हैं, उनके आधार पर लोकसूचना अधिकारी अपनी नौकरशाही प्रवृत्ति को प्रकट करता है, प्रथम अपीलीय लोकसूचना अधिकारी उसी विभाग का वरिष्ठ रैंक का अधिकारी होता है जिसके कारण उसका झुकाव विभाग एवं लोकसूचना अधिकारी के पक्ष की तरफ होता है। माननीय सूचना आयोग द्वारा पारित किये गये निर्णय के पालन न किये जाने पर उनका अनुपालन कराने बाबत् कोई स्पष्ट उपबन्ध अधिनियम में नहीं हैं।

उपकरण

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्यों की सार्थकता तथा प्रावधानों का पालन लोक प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों द्वारा किस प्रकार किया जा रहा है, तथा धारा 8 में "सूचना के प्रकट किये जाने से छूट" संबधी प्रावधान का निर्वचन एवं व्याख्या किस प्रकार इन अधिकारियों द्वारा की जा रही है। अधिकारियों द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गये दायित्वों का पूर्णरूपेण निर्वहन कर अधिनियम के उद्देश्य को वर्तमान समय में सार्थक बनाया जा रहा है या उसमें कोई कमी, त्रुटि या भूल कारित की जा रही है, इसके संबंध में माननीय आयोगों, माननीय न्यायालयों के कुछ निर्णयों का उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अधिनियम की धारा 8 (1) (एच) में उल्लेखित है कि "सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी", ऐसी सूचना देने से इंकार किया जा सकता है। माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग[3] ने अभिनिर्धारित किया कि "सूचना

*Corresponding Author: Email: hschawla81@gmail.com • Mobile No. 09926156699

चाहे वह किसी की भी अभिरक्षा में हो या अभिरक्षक के पास हो, उसे अपीलार्थी को प्रदाय किया जाना चाहिये। इससे किसी भी मर्यादा एवं प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं होता है।"

आवेदक जब सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है तो अधिकांशतः लोक सूचना अधिकारी धारा 8 के अंतर्गत छूट या बचाव लेकर आवेदक को सूचना प्रदाय नहीं करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली[4] ने अभिनिर्धारित किया है कि "धारा 8(1) (एच) का बचाव लेने के लिए लोक सूचना अधिकारी को संतोषजनक, युक्तिसंगत एवं बहुत ही सारवान तथ्यों पर आधारित कारण दिखाना पड़ेगा और यह स्पष्ट रूप से समझाना होगा कि क्यों, कैसे और किस प्रकार सूचना को देने से अन्वेषण की प्रक्रिया में बाधा आयेगी। कहने मात्र या इस विचार से सूचना देने से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वह धारा 8(1)(एच) के अंतर्गत अन्वेषण की प्रक्रिया में बाध ाा डालती हो, यह सूचना को प्रदाय न करने (इंकार) करने का कोई आधार नहीं हो सकता है, ऐसे में धारा 8(1)(एच) एवं अन्य प्रावध ाान सूचना की माँग को धोखा देने, कपट करने वालों के लिए स्वर्ग हो जायेगा।"

माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग[5] ने अभिनिर्धारित किया है कि "मामला विचाराधीन है, अतः सूचना प्रचुर सावधानी के तरीके से नहीं दी गई है, दूसरे ढंग से कोई भी प्रतिबंध सूचना प्रदान करने पर नहीं है, अतः धारा 8(1) (एच) के अंतर्गत नहीं आता है, सूचना अपीलार्थी को आदेश के 10 दिन के भीतर प्रदान की जावे।" अधिकतर मामलों में लोकसूचना अधिकारी सूचना प्रदाय करने में रुचि नहीं दिखाते हैं, उन्हें अतिरिक्त कार्य लगता है, वे संबंधित सूचना को प्रदान न करने से बचने के लिए जाँच, अन्वेषण की बहानेबाजी करते हैं।

माननीय राजस्थान सूचना आयोग[6] ने अभिनिर्धारित किया है कि "धारा 8 (1) (एच) के प्रावधानों को सरल, आसानी भाव से लागू करना पर्याप्त नहीं होता है, अन्वेषण सामान्य विशिष्ट शैली में उन्हीं प्रकरणों में किया जाता है जो पुलिस के द्वारा एफ.आई.आर. में रजिस्टर्ड हो, अपीलार्थी को सूचना प्रदान की जाये।"

माननीय तमिलनाडु सूचना आयोग[7] ने अभिनिर्धारित किया है कि "संबंधित प्रकरण की प्रत्येक एवं हर स्थिति में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि संदिग्ध अस्पष्ट कारणों से जानकारी को कपटपूर्वक नहीं दिया गया है, इसमें बहुत ही स्पष्ट है कि सूचना की माँग को दुर्भावनापूर्वक, कपटपूर्वक सूचना न देने के उद्देश्य एवं प्रयोजन से सूचना को नकारा गया है और धारा 8 (1) (एच) का जो प्रयोग किया गया है वह पूर्णतः और स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, याचिकाकर्त्ता को एक सप्ताह के भीतर सूचना प्रदान की जाये।"

माननीय छत्तीसगढ़ सूचना आयोग[8] ने अभिनिर्धारित किया है कि "अपीलार्थी को राजभवन सचिवालय/कुलाधिपति कार्यालय की चाही गई जानकारी से संबंधित जो अभिलेख है जिसका निरीक्षण वह कर चुके हैं, केवल उसकी प्रति चाहिये तथा लोक आयोग की जाँच में किसी प्रकार के अभियोजन अथवा जाँच में कोई बाधा पहुँचने की संभावना नहीं, अतः धारा 8 (1) (एच) का लाभ देना उचित नहीं होगा। इस संबंध में अपीलार्थी का तर्क सही प्रतीत होता है, क्योंकि उन्हें राजभवन सचिवालय में इससे संबंधित जो अभिलेख है उसकी प्रति चाहिये और उसे दिये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति प्रतीत नहीं होती है अतः चाही गई जानकारी अपीलार्थी को 15 दिवस के भीतर निःशुल्क प्रदान करावें।"

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद[9] ने अभिनिर्धारित किया है कि "वांछित सूचना में नियोजित 6 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्रों से संबंधित है, सूचना दिये जाने पर धारा 8 (1) (जे) के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं, सूचना प्रदान की जावे।"

शासकीय संस्था एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं द्वारा पूरित प्रवेश आवेदन पत्र एवं संबंधित जानकारी व्यक्तिगत दस्तावेज अभिलेख नहीं होते हैं, वे शासकीय महाविद्यालय के अभिलेख बन जाते हैं। माननीय छत्तीसगढ़ सूचना आयोग[10] ने अभिनिर्धारित किया– "महाविद्यालय के अभिलेख में कोई भी जानकारी हो और किसी भी विद्यार्थी से संबंधित हो, यदि उसकी माँग की जाती है, तो प्राचार्य को देना चाहिए।"

माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा[11] ने अभिनिर्धारित किया कि "लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के लिए अपनाए गए मापदंड–संबंध ाी सूचना को और इस सूचना को, कि चयन प्रक्रिया के दौरान शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और साक्षात्कार के लिए कितने अंक निर्धारित किये गये हैं, धारा 8 और धारा 11 के अंतर्गत प्रदाय करने से मना नहीं किया जा सकता है।"

अधिनियम की धारा 8 के तृतीय परन्तुक में उल्लेखित है कि "ऐसी सूचना के लिए जिसको, यथास्थिति संसद या किसी विधान मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं जा सकेगा", स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद भी आवेदक को सूचना प्रदाय नहीं की जाती है, माननीय पश्चिम बंगाल आयोग[12] ने भी अपने निर्णय में इसकी पुष्टि की है।

किसी बैंक के लिपिकीय स्टाफ की तैनाती, स्थानांतरण तथा प्रोन्नति संबंधी सूचनाओं का संबंध बैंक तथा उसके कर्मचारियों के बीच होने वाले न्यासीय संबंधों संबधों से नहीं है, यहाँ अन्तर्निष्ठ सूचनाओं को अपने कर्मचारियों की ओर से बैंक द्वारा विश्वास के अंतर्गत ध ाारित सूचनाएँ भी नहीं कहा जा सकता है और इसलिए उन्हें प्रदाय करने से मना नहीं किया जा सकता।[13]

विचार–विमर्श

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 को पारित हुये आज लगभग 13 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का निर्वचन अपने पक्ष में कर आवेदक को अधिकांशतः सूचना प्रदाय करने में आनाकानी, टालमटोल, बहानेबाजी की जाती है, प्रत्येक आवेदक इतना समर्थ नहीं होता कि सूचना प्राप्ति के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय या सूचना आयोग में अपील प्रस्तुत कर सकें, यदि अपील प्रस्तुत करने में आवेदक सफल भी हो जाता हे तो अपील की सुनवाई और निर्णय उपरांत सूचना प्राप्त होने में अत्यधिक विलंब होता है इसलिए यह आवश्यक है लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सौपे गये दायित्वों का निर्वहन अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप ही करें, ताकि अधिनियम की सार्थकता विद्यमान रहे।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (एच) में उल्लेखित है कि "सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी", ऐसी सूचना को प्रदाय किये जाने से विमुक्ति प्रदाय की गई है।

माननीय राजस्थान सूचना आयोग[14] ने निर्णय दिया है कि धारा–8 (1) (एच) के प्रावधान को मात्र आसानी, सरल भाव से लागू करना पर्याप्त नहीं होता, यह लोक सूचना अधिकारी पर बाध्यकारी एवं अनिवार्य भाग है, जिसमें लोक सूचना अधिकारी को स्पष्ट करना होगा कि यह प्रावधान कैसे एवं किस प्रकार से तात्कालिक केस में लागू होगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहें तथा उनका वास्तव में क्या अधिकार है, उनको जाने तथा उसका प्रयोग कर भ्रष्टाचार को कम करने में सहयोग करें, कुछ नागरिकों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है एवं प्रयास में सफल भी हुए हैं, इंडिया न्यूज दिनांक 30 जून से 6 जुलाई 2009 में प्रकाशित शीर्षक "सूचना का कमाल झारखण्ड के पाकुड जंगलों में अवैध कटाई रुक गई", प्रथम प्रवक्ता समाचार पत्र दिनांक 16 अगस्त 2009 में प्रकाशित शीर्षक "ग्रामीण भी खूब चला रहे हैं सूचना का अस्त्र", इस अस्त्र का प्रयोग कर कर्नाटक के ग्रामीणों ने खाने के अधिकार की लड़ाई लड़ी तथा इसमें सफल भी हुए।

महेन्द्रनाथ बिहार के मधुबनी जिले में रिक्शा चलाता था। उसका परिवार गरीबी रेखा के नीचे आता है और वह इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान पाने का हकदार था, लेकिन उसे आवेदन के 5 साल बाद उसका हक नहीं मिला, महेन्द्रनाथ ने जब सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदन दिया तो 7–8 दिन में उसे इंदिरा आवास योजना के अधीन सहायता की पहली किश्त के रूप में 15000 रुपये मिल गये । इसलिए जनता को भी जागरूक होकर इस अधिनियम का सदुपयोग किया जाना चाहिए ।

परिणाम एवं निष्कर्ष

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों एवं प्रावधानों के अनुरूप ही जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को विधि प्रावधानानुसार ही कर्तव्य एवं सौंपे गये दायित्व का पालन किया जाना चाहिये परन्तु व्यावहारिक रूप में ऐसा दिखलाई नहीं पड़ता है। वांछित सूचना प्राप्त न होने पर मजबूरन आवेदक को अपील प्रस्तुत करनी पड़ती है परन्तु अत्याधिक समय व्यतीत होने के उपरांत ही उसकी अपील आवेदन पर सुनवाई हो पाती है। धारा 8 में "सूचना के प्रकट किये जाने से छूट" के अंतर्गत दिये गये उपबंधों का भी जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अलग–अलग निर्वचन एवं व्याख्या कर सूचना प्रदाय करने में बाधा उत्पन्न की जाती है जिससे आवेदक को मानसिक पीड़ा एवं आर्थिक क्षति भी सहन करनी पड़ती है, जिसके लिए आवेदक को उचित मुआवजा भी प्रदाय की जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

एक अपील[15] को निर्णीत करते समय, एक अपील प्राधिकारी भी अर्द्धन्यायिक कार्य को संपादित करता है और इस तरह उनके निर्णय पर भी उनके ही हस्ताक्षर यह दर्शाने के लिए होने चाहिए कि निर्णय लेने के कार्य में उन्होंने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया है, सूचना का अधिकार अधिनियम के मामलों में सामान्य कार्यालय कार्य–विधियों का कोई महत्व नहीं रहता है। न्यायालय तहसीलदार[16] के यहाँ पंजीकृत प्रकरण का पता लगाने हेतु पहले नियमानुसार नकल शाखा में नकल आवेदन द्वारा एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन द्वारा प्रयास किया गया । किंतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से आज तक नकल प्राप्त नहीं हो सकी। यह भी नहीं बताया जा रहा है कि आखिर वह पंजीकृत प्रकरण निराकृत होकर कहाँ गया अथवा भेजा गया है। सूचना आयोग के प्रयासों के बावजूद भी प्रकरण को कोई पता नहीं चलना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की कमियों को उजागर करता है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जाना अति आवश्यक है।

जनता को भी इस अधिनियम के दुरुपयोग से बचना चाहिए। 2007 में पटना के जिलाधिकारी से किसी व्यक्ति ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत "जिले में नीम के कितने पेड़ हैं" इसकी सूचना माँगी, इस प्रकार का आवेदन दर्शाता है कि अधिनियम का दुरुपयोग करने वालों की भी कमी नहीं है।जब तक जनता संपूर्ण रूप से जागरूक नहीं होगी तब तक कोई भी प्रयास असफल साबित होगा।

मरीज[17] के इलाज के लिए दवा का भी ओवरडोज घातक हो सकता है। केन्द्र और राज्य सूचना आयोगों और उनके मुख्य सूचना आयुक्तों एवं अन्य सदस्यों से संबंधित सितम्बर, 2012 में आये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में यही खतरा नजर आता है। माननीय न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक और स्वतंत्र कुमार ने व्यवस्था दी है कि केन्द्रीय और राज्य सूचना आयोग अब से अपना कामकाज दो–दो सदस्यों की युगल पीठों के जरिये करेंगे। इनमें अनिवार्यतः एक न्यायिक सदस्य और एक विशेषज्ञ सदस्य होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि केंद्र और राज्य स्तरों पर मुख्य सूचना आयुक्त सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश या हाईकोर्ट का सेवारत या अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। माननीय न्यायाधीश पटनायक और कुमार का तर्क है कि सूचना आयोगों का कामकाज अर्द्धन्यायिक प्रकृति का है इसलिए उसे अंजाम देने के लिए कानूनी योग्यता वाले, न्यायिक प्रशिक्षण प्राप्त अनुभवी लोगों की ही जरूरत है। परन्तु आज लगभग 7 वर्षों के व्यतीत होने के उपरांत भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन नहीं दिखलाई पड़ता जो कि अत्यंत ही दुर्भाग्यजनक है।

वर्तमान[18] समय में सूचना का अधिकार अधिनियम कानून के खुलेआम उल्लंघन के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग ने अपने ही संयुक्त सचिव (विधि) और अन्य अधिकारियों की खिंचाई की है। आरटीआई कार्यकर्ता आर.के. जैन की अपील पर सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने आर.टी.आई. कानून के प्रावधानों और प्रक्रिया के गंभीर उल्लंघन पर अधिकारियों को फटकार लगाई। स्वयं केन्द्रीय सूचना आयोग में इस स्थिति का निर्मित होना एक गंभीर मुद्दा है साथ ही यह आर.टी.आई. के प्रावधानों का उनके ही कार्यालय में प्रभाव भी दर्शाता है। लोकसूचना अधिकारियों को अधिनियम की गंभीरता को समझना होगा, शासन को इसके लिए अधिकारियों को और भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

न्यायपूर्ण तथा जवाबदेह सरकार के लिए सूचना का अधिकार एक अनिवार्य शर्त है, लेकिन यह पर्याप्त शर्त नहीं है। अभी बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है लेकिन निश्चय ही सूचना का अधिकार सही दिशा में पहला कदम है।

उम्मीद की जानी चाहिए कि यह कानून भी एक दंतहीन बाघ बनकर नहीं रह जायेगा। प्रशासन तंत्र के उच्च पदों पर बैठे लोगों की जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ानी होगी, यदि इस अधिकार का सजग ढंग से उपयोग किया जाए तो इससे न केवल देश की व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आयेगा बल्कि यह लोकतंत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सूचना के अधिकार से शासकीय कामकाज में पारदर्शिता का माहौल बना है वहीं लोगों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए कारगर अधिकार मिला है।

संदर्भ सूची

1. न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले, *ए.आई.आर.*, एस.सी. (1982) : 149.
2. डॉ. राधेश्याम द्विवेदी, *"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005"*, सुविधा लॉ हाउस भोपाल, प्रथम संस्करण (2007) : 2.
3. गौतम जी.जी., *"Case Law Digest"*, Important Decisions of Central Information Commission, New Delhi, June (2008): 17-18.
4. भगत सिंह बनाम मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य, उच्च न्यायालय, दिल्ली W.P. No. 33114/2007.
5. पी.के. राउत बनाम केन्द्रीय लोकसूचना अधिकारी इंडियन रेयर अर्थस् लिमिटेड, अपील नं. CIC/WB/A/2006/00006
6. वी.के. अग्रवाल, आई.जी.पी. (प्रशासनिक) अपील नं. 200/07.
7. थिरू एम.स्वामीदियान व थिरू सी. देवराजन व थिरू सी. सुरेश बाबू बनाम पुलिस अधीक्षक नागरकोली एवं डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ गृह मंत्रालय चेन्नई केस नं. 1475, 2446, 1561 एवं 1503/इंक्वारी/2006.
8. नरेन्द्र सिंह चांवला बनाम लोकसूचना अधिकारी, कार्यालय कुलाधिपति/राजभवन सचिवालय, रायपुर, अपील प्रकरण क्र. 1069/2008.
9. सुरेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. इलाहाबाद, *ए.आई.आर.*, जुलाई (2009): 106.
10. नरेन्द्र सिंह चांवला बनाम लोकसूचना अधिकारी, शासकीय दाऊ कल्याण महाविद्यालय बलौदा बाजार अपील प्रकरण क्रं. 498/2006.
11. हरियाणा लोक सेवा आयोग, चंड़ीगढ़ बनाम राज्य सूचना आयोग एवं अन्य, पंजाब एवं हरियाणा, *ए.आई.आर.* (2009): 14.
12. डॉ. नजरूल इस्लाम बनाम एस.आई.ओ.पी. एण्ड ए.आर. डिपार्टमेंट अपील प्रकरण क्रं. 1325 (3) WB/C/RTI/116/07.
13. केनरा बैंक बनाम केन्द्रीय लोकसूचना अधिकारी दिल्ली व अन्य, केरल, *ए.आई.आर.*, अक्टूबर (2007): 225.
14. वी.के. अग्रवाल आई.जी.पी. (प्रशासनिक) अपील नं. 200/07.
15. डॉ. नीरज कुमार *"जानिये अपना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005"*, भारत लॉ हाउस, नई दिल्ली, तीसरा संस्करण (2011): 925.

16. नरेन्द्र सिंह चांवला बनाम लोकसूचना अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार बलौदा बाजार, माननीय छत्तीसगढ़ सूचना आयोग का अपील प्रकरण क्रं. 261/2007.
17. मिश्र नीलाभ "दवा के नाम पर घातक ओवरडोज" *आउटलुक,* अक्टूबर (2012): 10.
18. "आर.टी.आई. कानून के उल्लंघन फटकार", नई दुनिया समाचार पत्र रायपुर संस्करण, छत्तीसगढ़, 26 फरवरी 2018: 13.